कार्यालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मीरजापुर के परिसर में स्थित 07 दुकान पूड़ी, मिठाई, चाय, नमकीन, पान, 03 दुकान फोटो स्टेट, 01 फोटोग्राफर, 01 साईकिल स्टैण्ड तथा 01 फल की दुकानों की नीलामी वर्ष 2019–2020 के लिए दिनांक 27.03.2019 को सायं 4.00 बजे होगी। चाय, नमकीन, पूड़ी, मिठाई, फोटो स्टेट, एवं साईकिल स्टैण्ड लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को 10,000/–रू0 एवं फोटोग्राफर, पान की दुकान व फल की दुकान लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को 5,000/–रू0 की नगद धनराशि दिनांक 26.03.2019 को सायं 4.00 बजे तक नजारत अनुभाग में जमा कर बोली बोल सकते है। बोली नियमानुसार होगी, इसके बारे में जानकारी नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, मीरजापुर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी अन्य जानकारी नजारत अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि इस निविदा सूचना की प्रति जन सामान्य के सूचनार्थ जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका, न्यायालय, बार, कार्यालयों में एवं उचित सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर अनुपालन प्रति मय आख्या प्रस्तुत करें।

नोट– नीलामी की सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा बोली गयी बोली की पूरी धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि 3 दिन के अन्दर नजारत अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा तथा उक्त 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने की दशा में उसकी जमा सिक्योरिटी धनराशि जब्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई अन्य जानकारी नजारत अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

Devkant Shukla 4/2/19	[signature] 4/2/19	Sanjay Hari Shukla 04/03/19
(देवकान्त शुक्ला)	(राम लखन सिंह चन्द्रौल)	(संजय हरि शुक्ला)
सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी. द्वितीय, मीरजापुर।	तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी एक्ट), मीरजापुर।

प्रतिलिपि –

1. सम्पादक दैनिक स्टैण्डर्ड न्यूज को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
2. सम्पादक दैनिक हिन्दुस्तान को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।